न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/21/2015

उनवान

1. गोदू पिता चतुर्भुज गारी, निवासी खोलपुरा मजरा पांसल, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/प्रार्थी

बनाम

1. बालू पुत्र हजारी गाडरी निवासी खोलपुरा मजरा, पांसल, तहसील व जिला भीलवाडा
2. हीरा पिता गोदू गाडरी निवासी खोलपुरा मजरा, पांसल, तहसील व जिला भीलवाडा
3. राम लाल पिता गोदू गाडरी निवासी खोलपुरा मजरा, पांसल, तहसील व जिला भीलवाडा
4. नारायण पिता रूपा गाडरी निवासी खोलपुरा मजरा, पांसल, तहसील व जिला भीलवाडा
5. लादू आत्मज किशन दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
6. प्रेम पुत्री किशन दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
7. छोटी पुत्री किशन दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
8. शांति पत्नि कन्हैया लाल दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
9. शंकर आत्मज मोा गदरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
10. नारू आत्मज रामा दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा
रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 1294/2014 आदेश दिनांक 19.11.2014

अधिवक्तागण :—

1.श्री महेश सोलंकी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री विकास जायसवाल ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 19.2.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि आराजी जो कि ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में जरिये खाता संख्या 1330 नये व पुराने 1235 के आराजी संख्या 1693 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 1694 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1695 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1696 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 1697 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 1698 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1699 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1703 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 2451 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 2452 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में से आराजी नम्बर 1699 जो कुए की आराजी है जो वर्तमान में 04 बिस्वा प्रार्थी कें खातेदारी है एवं शेष 02 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 6 लगायत 11 का देवस्थान होकर उनके पितृ देवता का स्थान है । इस पर आता चाह कुआ जिसके आराजी नम्बर 1699 है पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लगायत 11 का आने जाने का संयुक्त रास्ता वर्षो से विद्यमान है। जो वर्तमान में 20 फीट चौडा है । उक्त रास्ता पांसल गांव के मुख्य सडक मार्ग से निकलकर गैर मुमकिन रास्ता जिसके आराजी नम्बर 1753 से होकर मेजा बांध की मुख्य नहर जो आराजी नम्बर 1729 पर विद्यमान है , पर स्थित पुलिया जो आराजी नम्बर 1648 व 1749 के मध्य स्थित है , के उपर से होकर आराजी नम्बर 1648 व नहर के पास से होकर आराजी नम्बर 1649 में से होकर आराजी संख्या 1713 व आराजी संख्या 1650, 1651 के बीच से होकर आराजी संख्या 1653 व 1713 के बीच से होकर आराजी नम्बर 1657 , आराजी संख्या 1711 व 1712 के बीच से होकर आराजी नम्बर 1717 पर होकर आगे आराजी नम्बर 1720 व 4529/1704 के बीच मे से होकर आगे आराजी नम्बर 1731 व आराजी संख्या 1703 के बीच में से होकर आराजी नम्बर 1700 में से होकर प्रार्थी की आराजी में आराजी संख्या 1699 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता कई वर्षो से विद्यमान होकर वर्षो से उपयोग उपभोग में आ रहा है जो सार्वजनिक रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग सभी काश्तकारों व ग्राम वासी पांसल व आमजनों द्वारा किया जता है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 जिनकी आराजी नम्बर 1699 के सटती हुई है जिसका फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 ने प्रार्थी के खेत पर जाने वाले रास्ते पर कांटे की बाड लगाकर बंन्द करने का प्रयास कर रहा है जिसका उसके कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उसके आराजियात में आने–जाने के रास्ते को खुलासा कराया जावे एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णितानुसार नक्शे में रास्ता को खुलाया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की फोटो प्रति दिनांक 8.1.2015 को जारी की गई । उक्त आदेश की फोटो प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। इस कारण निर्णय तारीख से 2 माह के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की अवधि को कण्डोन किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में श्री रूपा पुत्र चतुर्भुज गाडरी को भी विपक्षी संख्या 2 के रूप में नामजद किया गया था, विपक्षी संख्या 2 रूपा गाडरी की दौराने सुनवाई मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कार्यवाही ड्रोप की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 2 रूपा गाडरी के अन्य जीवित वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि मृतक रूपा गाडरी विपक्षी संख्या 2 के जीवित वारिसान प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, ऐसे में उन्हें पक्षकार बनाये बिना प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट सख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया विधि की दृष्टि से किसी भी रीति से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पोषणीय नहीं था, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार कर प्रत्यथी संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में आराजी नम्बर 1700 रकबा 4 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु निर्धारित रास्ते में क्षतिपूर्ति की राशि प्रचलित पंजीयन बाजार दर यानि डी एल सी के अनुसार निर्धारित की है जबकि डी एल सी से बाजार दर कई गुना अधिक चल रही है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट का सही तौर पर अवलोकन नहीं किया गया है प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने बताया कि वह आराजी नम्बर 1700 से ही आना जाना चाहता है तथ अन्य तरफ से रास्ता नहीं चाहता है । इस प्रकार प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पास अपनी आराजी में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी अपीलार्थी को हैरान परेशान करना चाहता है । उक्त तथ्यों के आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। अतः अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की । जिस पर पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार की । प्रत्यर्थी/प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अपनी आराजी पर आने जाने हेतु रास्ता अपीलार्थी/विपक्षी की आराजी नम्बर 1700 होना जिसे बन्द कर दिये जाने से खुलवा कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का निवेदन किया । पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति मे दिनांक 21.7.2014 को तैयार की है। जिसमें पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि '' मौके पर उपस्थित बालू ने बताया कि वह शुरूआत से से अपने खेतों पर उक्त आराजी नम्बर 1700 से ही होकर जाता रहा है। प्रतिवादी गोदू पित चतरभुज गाडरी ने अपने आराजी नम्बर 1700 में से रास्ता देने हेतु मना कर दिया । उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु वर्तमान मे रास्ता (नक्शे अनुसार) नहीं है। ''

12. चूंकि अपीलाधीन मामले में प्रत्यर्थी/प्रार्थी अपनी आराजी पर अपीलार्थी/विपक्षी की आराजी नम्बर 1700 में से होकर आता जाता रहा है एवं अपीलार्थी/विपक्षी ने स्वयं की आराजी नम्बर 1700 की दक्षिणी मेड पर डोल डालकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ते को अवरूद्ध किया है। जिससे प्रार्थी/प्रत्यर्थी अपनी अन्य आराजी नम्बर 1693,1698 व 2451 व 2452 पर नहीं जा सका । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भी नक्शे के अनुसार अन्य रास्ता नहीं है। वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। जहॉ तक अपीलार्थी का कथन है कि डी एल सी दर एवं मौजूदा बाजार दर में कई गुना अन्तर है। तो डी एल सी दर के अनुसार ही काश्तकार को उसकी भूमि में से दिये गये रास्ते की गणना कर भुगतान किये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राशि की गणना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

13. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2014 को यथावत रखा जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 19.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

19/2/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा